FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम ....तालेड़ा.......................................

..............जटूबाई w/o भंवरलाल.................. बनाम ......सरकार..

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88 89 RTAct 136 LR Act .... नं. ...258..... / दावा / सन ...2025...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/2/25	वाद पत्र सरिश्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 17/3/2025......को पेश हो। [signature]	
17/3/25	त्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत त्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/25 को पेश हो T [signature]	
28/4/25	पत्रावली आज प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई करने बाबत पेश होने पर पेश हुई। TCR रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पेशकार सरकार ने प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई पर No objection अंकित कर जवाब प्रा० पत्र पेश किया। प्रा० पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 30/4/25 को पेश हो। [signature]	
30/4/25	वकलाए उभय। बहस वादपत्र सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट TCR का अवलोकन किया गया। वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम खटूबाई पत्नि भंवरलाल के स्थान पर जटूबाई उर्फ खटूबाई पत्नि भंवरलाल जाति मीणा दर्ज किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

...ल नं0 258/दावा/2025

तारीख दायरा 03.02.2025

तारीख फैसला 30.04.2025

जदू बाई आयु 82 वर्ष पत्नी श्री भँवरलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

–प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते अधिकार घोषणा एवं नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0. 2023 है., खसरा स. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7234 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलाँ पटवार हल्का बडून्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर वादी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। वादी वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। एवं भूमि ग्राम ठीकरिया कलाँ तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं ऑनलाईन करते समय वादी के मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर वादी का बोलता नाम खदू बाई सहवन से वाद वर्णित वादी की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि वादी का दस्तावेजी नाम जद्र बाई है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही वादी का नाम, वादी के बोलते नाम खदू बाई के अनुसार ही खदू बाई नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि वादी का मूल नाम दस्तावेजी आधार पर जदू बाई है। एल आर एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान किया गया है कि नाम में गलती हुई हो तो वादी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार वादी को नाजायज परेशान करते है। तथा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत जब वादी के द्वारा हल्का पटवारी बडुन्दा से दिनांक 06.01.2025 को निवेदन किया कि वादी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का बडून्दा के द्वारा वादी के साथ टालमटोल की गई, वादी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया । वादी के द्वारा दिनांक 06.01.2025 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्दी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा वादी की बात नही सुनी एवं वादी की भूमि में नाम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के खातेदार अधिकार की कृर्षि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0.2023 है., खसरा सं. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलाँ पटवार हल्का बडुन्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जाँच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्दीकरण के आदेश फरमावे जो वादी का नाम खदू बाई गलत दर्ज है को शुद्ध कर वादी का नाम जदू बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बूंदी)
पीठासीन अधिकारी हरविन्दर प्री. सिंह R.A.S

केस नं०
258/दावा/2025

तारीख दायरा
03.02.2025

तारीख फैसला
30.04.2025

जदू बाई आयु 82 वर्ष पत्नी श्री भैंवरलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज०।

-वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज०।

-प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :- श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता प्रतिवादी :- पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते अधिकार घोषणा एवं नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0. 2023 है., खसरा स. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7234 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलॉ पटवार हल्का बडून्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर वादी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। वादी वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। एवं भूमि ग्राम ठीकरिया कलॉ तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं ऑनलाईन करते समय वादी के मूल नाम/दस्तावेजी नाम के स्थान पर वादी का बोलता नाम खदू बाई सहवन से वाद वर्णित वादी की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि वादी का दस्तावेजी नाम जट्र बाई है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही वादी का नाम, वादी के बोलते नाम खदू बाई के अनुसार ही खदू बाई नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि वादी का मूल नाम दस्तावेजी आधार पर जदू बाई है। एल आर एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान किया गया है कि नाम में गलती हुई हो तो वादी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार वादी को नाजायज परेशान करते है। तथा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत जब वादी के द्वारा हल्का पटवारी बडुन्दा से दिनांक 06.01.2025 को निवेदन किया कि वादी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का बडून्दा के द्वारा वादी के साथ टालमटोल की गई, वादी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया । वादी के द्वारा दिनांक 06.01.2025 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा वादी की बात नही सुनी एवं वादी की भूमि में नाम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0.2023 है., खसरा सं. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलॉ पटवार हल्का बडुन्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे जो वादी का नाम खदू बाई गलत दर्ज है को शुद्ध कर वादी का नाम जदू बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

...दपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1356 दिनांक 24.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर ...कित किया गया कि ग्राम ठीकरिया चारणान की कृषि भूमि खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0.2023 है., खसरा सं. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर खातेदार खदूबाई पत्नि भंवरलाल, प्रकाशचन्द, मोहनलाल पि0 भंवरलाल जाति मीणा सा0 बाजड खातेदार जमाबन्दी दर्ज रेकार्ड है विरासत नामान्तकरण सं0 529 दिनांक 13.5.1999 से मोहनलाल, प्रकाशचन्द पि0 भंवरलाल व जदूबाई बेवा भंवरलाल कोम मीणा सा0 बाजड के नाम खातेदार दर्ज हुई। जमाबन्दी ऑनलाईन के दौरान वादिनी का नाम जदूबाई के स्थान पर खदूबाई हो गया। जिसे दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 270 संवत 2076 वाके ग्राम बाजड, नकल जमाबन्दी खाता सं0 376 संवत 2076 वाके ग्राम ठीकरियाकलां, आयकर विभाग का पेनकार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0.2023 है., खसरा सं. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलॉ पटवार हल्का बडुन्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में वादी का नाम खदू बाई गलत दर्ज है को शुद्ध कर वादी का नाम जदू बाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वादी का नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 270 संवत 2076 वाके ग्राम बाजड, नकल जमाबन्दी खाता सं0 376 संवत 2076 वाके ग्राम ठीकरियाकला, आयकर विभाग का पेनकार्ड व आधार कार्ड का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वादी का नाम खदूबाई के स्थान पर जदूबाई उर्फ खदूबाई पत्नि भंवरलाल जाति मीणा किया जाना उचित है। है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 346 पुराना 317 की खसरा सं. 1574/1132 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 1782/1132 रकबा 0.2023 है., खसरा सं. 1783/1132 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा सं. 1784/1132 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया कलॉ पटवार हल्का बडुन्दा भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 मे वादी का नाम खदूबाई पत्नि भंवरलाल के स्थान पर जदूबाई उर्फ खदूबाई पत्नि भंवरलाल जाति मीणा दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा